AAP-A

FORM NO. III
फर्द अहकाम GRIM-A
(नियम 26)

अदालत- उपखण्ड अधिकारी मुकाम-सपोटरा

मुकदमा दावा हीरालाल बनाम रामजीलाल वगैरह

नं. 56/21 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/21	वकील वादीगण श्री रामसंगत [illegible] उपस्थित हुए। प्रस्तुत वादपत्र एवं रिपोर्ट कानूनगो का अवलोकन किया गया। वाद वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड [illegible] प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की जाये। पेशी 8/9/21 को पेश हो।	2352-57
8/9/21	वकील वादीगण उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 9/9/21 को पेश है।	
23/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित नहीं हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/1/22 को पेश हो।	
31/1/22	वकील वादीगण उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 2/3/22 को पेश है।	
16/5/22	तारीख पेशी जनरल नोटिस से बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 29/6/22 को पेश है।	
29/6/22	वकील वादीगण उप०/SDO साहब अवकाश / दौरे पर पधारे है। पूर्वानुसार दिनांक 23/9/22 को पेश हों।	
20/9/22	पत्रावली आज मिसल तलब से प्राप्त हुई। वादीगण एवं वकील वादीगण से उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त वाद में हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है, इसलिए पर वादीगण मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण बिड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली मिसल फुमार होकर नाम्बर से कमी हो।	हीरालाल रामचरण